न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

म्यूटेशन अपील संख्या –124/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
तेजाराम गोद पुत्र उमाराम जाति माली निवासी कात्यासनी हाल निवासी मेडतासिटी तहसील मेडता जिला नागौर		1. पुरखाराम पुत्र तेजाराम 2. कैलाश पुत्र तेजाराम 3. लिखमाराम पुत्र तेजाराम 4. रामकिशोर पुत्र तेजाराम 5. मंजु पुत्री तेजाराम सभी जाति माली निवासी आनन्दपुर कालु तहसील जैतारण जिला पाली हाल निवासी कात्यासनी तहसील रियांबडी जिला नागौर 6. तहसीलदार मेडता 7. भू–अभिलेख निरीक्षक, मेडता 8. पटवारी हल्का, मेडता

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री रमेश कुमार ढाका।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या–1 से 5 की ओर से वकील श्री डूंगरराम एवं रेस्पोडेन्टसंख्या–6 से 8 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक : 8-4-2019

अपीलांट ने यह अपील 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। अपीलान्ट द्वारा ग्राम मेडता तहसील मेडता का म्यूटेशन संख्या 3397 जो तहसीलदार मेडता द्वारा दिनांक 06.06.2013 को स्वीकृत किया गया है, से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 18.10.2017 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर, अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया व रेस्पोडेण्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना–पत्र के साथ अपना शपथ–पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि मौजा मेडता की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 4097 रकबा 2.06 हैक्टेयर की जमीन प्रार्थी/अपीलांट की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद भूमि है। मगर अपीलांट के जीवित रहते ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 6 से 8 मिलावट कर अपने नाम खातेदारी का इन्द्राज दर्ज करवा लिया। अपीलांट ने पटवारी हल्का से अपनी मुंग की फसल विक्रय करने हेतु गिरदावरी की नकल लेने हेतु दिनांक 29.09.2017 को सम्पर्क किया तो जमाबंदी की नकल व गिरदावरी की नकल निकलवाने पर उक्त नामान्तरकरण की जानकारी हुई। इस वजह से अपीलांट जानकारी से अन्दर मयाद यह अपील पेश की है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपीलांट की अपील अन्दर मयाद शुमार किये जाने का निवेदन किया।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा व वकील अप्रार्थी श्री डूंगरराम चौधरी ने अपीलान्ट की अपील मयाद बाहर होने का कथन करते हुऐ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र अपील खारिज करने का निवेदन किया।

कलक्टर, नागौर

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर विचार किया गया। प्रकरण में अपीलांट के मयाद प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए न्यायहित में अपीलान्ट की अपील की मेरिट पर सुनवाई की गई।

वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपील में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया मौजा मेडता की राजस्व सीमा में स्थित खेत खसरा नम्बर 4097 रकबा 2.06 हैक्टेयर की जमीन अपीलांट की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद भूमि आयी हुई है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के पिता तेजाराम पुत्र कुनाराम जाति माली निवासी आनन्दपुर कालु के विरूद्ध पूर्व में कई प्रकार के दिवानी व फौजदारी मुकदमें चले। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के पिता तेजाराम की शुरू से नियत अपीलांट की उक्त खातेदारी की जमीन हथियाने की थी। इसी बदनियति से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के पिता तेजाराम पुत्र कुनाराम ने सहायक कलक्टर महोदय मेडता के न्यायालय में एक दिवानी वाद दिनांक 23.10.2003 को पेश किया। वह वाद अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये प्रस्तुत किया गया था। उस वाद में अपीलांट ने आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पक्षकार बना और वाद को कंटेस्ट किया। दौराने वाद तेजाराम पुत्र कुनाराम की मृत्यु हो जाने से तेजाराम के विधिक वारिसान जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के अलावा भरपाई पत्नी तेजाराम भी वारिसान थी और उक्त सभी उतराधिकारी रेकर्ड पर आये और वाद को कंटेस्ट किया। वह वाद जो तेजाराम पुत्र कुनाराम द्वारा प्रस्तुत किया गया था वह वाद दिनांक 07.04.2016 को माननीय सहायक कलक्टर रियांबडी के न्यायालय में विचाराधीन था, जो खारिज हो गया था और उस वाद की कहीं कोई आगे अपील नहीं की गई तथा अपीलांट इस विश्वास में था अब कोई वाद विचाराधीन नहीं है तथा अपीलांट अपनी खातेदारी भूमि पर शांतिपूर्वक काश्त व काबिज था। अभी हाल ही में दिनांक 29.09.2017 को अपीलांट अपनी मुंग की पैदावार बैचान करने हेतु पटवारी हल्का से गिरदावरी की नकल निकलवाने गया तो देखा कि अपीलांट की खातेदारी की जमीन में उसके जीवनकाल में ही उसका फौतगी म्युटेशन दर्ज हो चुका है और वह फौतगी म्युटेशन भी जमाबंदी में तेजाराम के स्थान पर पुरखाराम, कैलाश, लिखमाराम, रामकिशोर व मंजु के नाम अमल दरामद किया गया है जबकि उक्त वारिस अपीलांट के उत्तराधिकारी नहीं है। अपीलांट के तो केवलमात्र दो ही संतान है। जिनका नाम दीपू व रामप्रकाश है। मगर उक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 जो अपीलांट के उत्तराधिकारी नहीं है फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 ने नाजायज व गैरकानूनी रूप से पटवारी हल्का से मिलावट करके फौतगी का नामान्तरकरण संख्या 3397 भरवा लिया। अपीलांट ने नामान्तरकरण संख्या 3397 की नकल दिनांक 03.10.2017 को प्राप्त की। जिसमें खातेदार तेजाराम पुत्र उमाराम का नामान्तरकरण की प्रविष्टि कॉलम संख्या 7 में दर्ज है। मगर नामान्तरकरण संख्या 14 से 16 में पटवारी द्वारा अपनी मनमर्जी से तेजाराम पुत्र उमाराम उर्फ कुनाराम बिना किसी आधार के अंकित कर उत्तराधिकारी का नामान्तरकरण शपथपत्र के आधार पर दर्ज कर दिया तथा स्वंय तेजाराम पुत्र कुनाराम कभी भी तेजाराम पुत्र उमाराम नहीं रहा मगर फौतगी नामान्तरकरण दिनांक 03.06.2013 को भरा जाकर दिनांक 06.06.2013 को स्वीकृत करवा लिया। जो पूर्णतया विधि विरूद्ध है। जिसकी जानकारी अपीलांट को जमाबंदी की नकल दिनांक 29.09.2017 को प्राप्त करने पर हुई। इस वजह से जानकारी से अन्दर मयाद अपीलांट ने यह अपील पेश की है। अदालत मातहत तहसीलदार मेडता का आदेश विधि विरूद्ध व फर्जी दस्तावेजों पर आधारित कार्यवाही होने से उक्त नामान्तरकरण का आदेश काबिल निरस्त के है। योग्य अदालत मातहत तहसीलदार मेडता द्वारा सर्वप्रथम नामान्तरकरण भरने से पूर्व मृतक तेजाराम पुत्र कुनाराम का मुत्यु प्रमाण पत्र देखा जाना चाहिए था। मृत्यु प्रमाण पत्र में कहीं पर भी तेजाराम पुत्र कुनाराम के अलावा तेजाराम पुत्र उमाराम दर्ज नहीं है, न ही उर्फ का कहीं इन्द्राज दर्ज है। अपीलांट के पास रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 द्वारा सहायक कलक्टर रियांबडी के न्यायालय में जब वाद विचाराधीन था तब उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति अन्य दस्तावेजों के साथ उपलब्ध करवायी गई थी। जिसकी फोटो प्रति आज भी अपीलांट के पास

कलक्टर, नागौर

सुरक्षित है। मृत्यु प्रमाण पत्र जयपुर से जारी किया हुआ है। प्रथम दृष्ट्या तहसीलदार मेडता द्वारा पटवारी हल्का द्वारा कूटरचित दस्तावेज के आधार पर भरा गया नामान्तरकरण निरस्त किया जाना चाहिए था। मगर नामान्तरकरण स्वीकार करने में बडी भारी भूल की है। जिससे उक्त नामान्तरकरण काबिल निरस्त के है। नामान्तरकरण भरे जाने से पूर्व वर्तमान खसरा नम्बर 4097 के पुराने खसरा नम्बर 3744 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा था तथा उक्त खसरा को लेकर रेकर्ड दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया गया था। उस रेकर्ड दुरूस्ती के वाद में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट प्रस्तुत किया गया था। जिसमें प्रकरण के तथ्यों एंव परिस्थिति को देखते हुए राजस्व न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 6 से 8 को राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश था वह आदेश मूल वाद के निर्णय तक कनफर्म किया गया था तथा मूल वाद दिनांक 03.06.2013 को लम्बित था तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश की पालना हेतु रेकर्ड में स्थगन आदेश का नोट अंकित था। मगर पटवारी हल्का द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 को नाजायज लाभ पहुंचाने की नियत से स्थगन आदेश का नोट हटाकर अर्थात पेंसिल नोट हटाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के पक्ष में अपीलांट की खातेदारी की भूमि का नामान्तरकरण दर्ज कर दिया। जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण कन्टेम्ट ऑफ कोर्ट की परिधि के तहत दण्डनीय अपराध है। जिससे भी उक्त नामान्तरकरण काबिल निरस्त के है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 ने स्वंय अपनी माता भरपाई जो जीवित होते हुए भी उसे पक्षकार नहीं बताया हालांकि अपीलांट को इन तथ्यों की विस्तृत जानकारी नहीं है क्योंकि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 का आपस में कोई संबंध नहीं है। मगर वाद में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 की माता भरपाई पक्षकार थी। इस वजह से यह आपत्ति प्रस्तुत की जा रही है कि तेजाराम पुत्र कुनाराम के वारिसान में भरपाई को नहीं बताया गया है। जिससे भी अदालत मातहत का आदेश विधि विरूद्ध होने से काबिल निरस्त के है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 ने अपीलांट से बाले–बाले अपीलांट की खातेदारी भूमि पर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा कृषि उपज मण्डी मेडतासिटी से ऋण भी प्राप्त कर लिया है और अपीलांट को नाजायज रूप से नुकसान पहुंचाने की नियत से उक्त नाजायज व गैरकानूनी कृत्य किया है। अपीलांट ने पटवारी हल्का आनन्दपुर कालु से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के पिता तेजाराम पुत्र कुनाराम के नाम की जमीन की खातेदारी की नकल प्राप्त की। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 ने एक तरफ तो तेजाराम पुत्र उमाराम के वारिस बनकर नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया इसी वजह से इन तथ्यों को छिपाये रखने के लिये आनन्दपुर कालु में स्थित जमीन का नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज नहीं करवाया और इन तथ्यों को छिपाया है। इस वजह से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 ने तेजाराम पुत्र कुनाराम के नाम से वास्तविक नामान्तरकरण दर्ज नहीं करवाया है। जिससे भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 की बदनियति स्पष्ट है। जिससे भी उक्त नामान्तरकरण आदेश काबिल निरस्त के है। अदालत मातहत का आदेश जैर अपील एक फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपीलांट के जीवित रहते हुए उसे फौत बताकर जो नामान्तरकरण स्वीकार किया है। वह निरस्त किये जाने योग्य होने का कथन करते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर मौजा मेडता की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 4097 रकबा 2.06 हैक्टेयर की जमीन अपीलांट की खातेदारी की भूमि होने से नामान्तरकरण संख्या 3397 निरस्त फरमाया जावें व राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज इन्द्राज को हटाये जाने के आदेश फरमाने का निवेदन किया। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर.बी.जे.(7) 2000 पेज 476 से 480, आर.बी.जे.(9) 2002 पेज 108 से 110, आर.आर.टी. 2003(1) पेज 650 से 652 न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

वकील रेस्पोडेन्ट श्री डूगरराम ने वकील अपीलांट की बहस का विरोध करते हुए बहस में कथन किया कि मौजा मेडता की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 4097 रकबा 2.06 हैक्टेयर अपीलांट की खातेदारी का काश्त व कब्जासुदा आया हुआ नहीं है, खसरा नम्बर 4097 के पुराने खसरा नं. 3744 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा था, जिस खेत की खातेदारी शिवलाल पुत्र मानाराम, जाति माली निवासी

कलक्टर, नागौर

कात्यासनी के नाम दर्ज थी। जिस खेत को रेस्पोडेन्ट के पिता तेजाराम पुत्र कुन्नाराम ने अपने खरीदसुदा पुराने खेत खसरा नम्बर 3463 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा से राजस्व न्यायालय के अन्तर्गत धारा 45 आर.टी.एक्ट के तहत दावा पेश कर एक्सचेंज किया। एक्सचेंज के बाद से खसरा नं. 3744 रेस्पोडेन्ट के पिता तेजाराम पुत्र कुन्नाराम के नाम आया। जिसके नये खसरा नम्बर 4097 रकबा 2.06 हैक्टेयर कायम हुवें। इस प्रकार उक्त खेत रेस्पोडेन्ट का खातेदारी का काश्त व कब्जासुद है। यहां यह स्पष्ट किया जाना उचित है कि रेस्पोडेन्ट के पिता तेजाराम ने खसरा नं. 3763 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा सरहद मेडता में आया हुआ था, जिस खेत को दिनांक 14.10.1986 को उमाराम पुत्र अन्नाराम जाति माली निवासी कात्यासनी से जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा के खरीदकर कब्जा प्राप्त किया, जिसका नामान्तरकरण भी रेस्पोडेन्ट के पिता तेजाराम के नाम दिनांक 07.11.1986 को नामान्तरकरण संख्या 1656 के द्वारा दर्ज हुआ। जिसका इन्द्राज खतौनी सम्वत् 2041 से 2044 में दर्ज है। तत्पश्चात् आगामी खतौनी तैयार करते समय राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेन्ट के पिता की वल्दियत सहवन से कुन्नाराम को पिता को नहीं हुई, क्योंकि रेस्पोडेन्ट के पिता अनपढ थे। तत्पश्चात् एक्सचेंज के बाद में भी सहवन से रेस्पोडेन्ट के पिता की वल्दियत गलत दर्ज हो गई। जिससे एक्सचेंज के बाद रेस्पोडेन्ट के पिता को जो खेत खसरा नं. 3744 प्राप्त हुआ, उसमें पिता की वल्दियत कुन्नाराम के स्थान पर उमाराम दर्ज हो गई। जिससे अपीलांट के गोद पिता का नाम का मिलान होने से अपीलांट गलत फायदा उठाकर उक्त खेत को अपना होना कथन करने लग गया, जिस पर अपीलांट के पिता ने अधिनस्थ न्यायालय में रेकर्ड दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया और दौराने वाद रेस्पोडेन्ट के पिता की मृत्यु हो गई, तब उनकी मृत्यु के बाद फौतगी नामान्तरकरण में रेस्पोडेन्ट का नाम दर्ज किया, जो सही किया। अपीलांट का यह लिखना पूर्ण रूप से गलत है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के पिता तेजाराम की नियत शुरू से ही अपीलांट की जमीन हथियानें की रही हो। अपीलांट का यह लिखना भी गलत है कि इसी बदनियति से रेस्पोडेन्ट के पिता तेजाराम ने सहायक कलक्टर मेडता के समक्ष एक वाद पेश किया हो। बल्कि रेस्पोडेन्ट के पिता ने रेकर्ड दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया। अपीलांट की नियत खराब है और उसी बदनियति के कारण अपीलांट ने राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाते हुवे रेस्पोडेन्ट के खेत पर अपना हक जताते हुवे रेस्पोडेन्ट के पिता द्वारा किये गये वाद में भी गलत रूप से पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके प्रकरण को लम्बा किया और प्रकरण में पैचिदगियां उत्पन्न की। अपीलांट के पिता का देहांत होने के बाद राजस्व कर्मचारियों ने जांच कर फौतगी नामान्तरकरण दर्ज करने के बाद रेकर्ड दुरूस्ती के वाद का कोई औचित्य नहीं रहा, जिससे उस वाद को न्यायालय में कन्टेस्ट नहीं किया और राजस्व रेकर्ड में सही इन्द्राज होने से उस वाद के निर्णय के बाद उसकी अपील की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। अपीलांट ने गलत रूप से गलत इन्द्राज के आधार पर उक्त खसरा के संबंध में गलत रूप से स्थाई निषेधाज्ञा का वाद अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिस वाद में अपीलांट को किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिली। अपीलांट नौकरीपेशा व्यक्ति है और पढा लिखा व्यक्ति है और वर्तमान में रियांबडी तहसील कार्यालय में नौकरी करता है। जबकि उक्त खसरा का पूर्व में जो एक्सचेंज का दावा किया था, उक्त दावा रेस्पोडेन्ट के पिता तेजाराम के द्वारा किया गया है, जिस पर उसकी अंगुष्ठ निशानी है और उस वाद में रेस्पोडेन्ट कैलाश भी नाबालिग की हैसियत से शामिल था, जबकि अपीलांट के पुत्र का नाम कैलाश नहीं है, जो अपीलांट स्वंय स्वीकार करता है। वाद की नकल अपील के साथ पेश है व एक्सचेंज का नामान्तरकरण दर्ज किया। इस प्रकार सम्पूर्ण दस्तावेजों का अवलोकन करने से अपीलांट द्वारा जो भ्रम की स्थिति पैदा की गई है, वह स्पष्ट हो जाती है और अपीलांट का यह लिखना पूर्ण रूप से गलत है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 ने नाजायज व गैरकानूनी रूप से पटवारी हल्का से मिलावट करके फौतगी नामान्तरकरण संख्या 3397 भरवा लिया हो। बल्कि रेस्पोडेन्ट ने सही नामान्तरकरण भरवाया है। राजस्व रेकर्ड में तेजाराम पुत्र उमाराम गलत रूप से दर्ज था। गलत इन्द्राज से किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं

कलक्टर, नागौर

होते है। पटवारी हल्का को राजस्व रेकर्ड में शुद्धि करने का पूर्ण अधिकार है और उसी अधिकार के तहत् पटवारी हल्का ने राजस्व रेकर्ड में तेजाराम का नाम शुद्ध कर फौतगी नामान्तरकरण दर्ज किया। अपीलांट ने पुलिस थाने में रेस्पोडेन्ट व अन्य के विरूद्ध उक्त नामान्तरकरण के संबंध में धोखाधडी व कूटरचना का इस्तगासा के जरिये दर्ज करवाया था। जिसको पुलिस ने झूठा मानते हुवे अन्तिम प्रतिवेदन पेश कर दिया। अपीलांट को उक्त नामान्तरकरण की शुरू से ही जानकारी थी। राजस्व रेकर्ड के अनुसार नामान्तरकरण पूर्ण रूप से सही है। किसी प्रकार के कोई फर्जी दस्तावेज के आधार पर नामान्तरकरण इन्द्राज नहीं हुआ है। मात्र राजस्व रेकर्ड में पूर्व में गलती से रेस्पोडेन्ट के पिता की वल्दियत उमाराम की दर्ज होने से अपीलांट को उक्त खसरा में किसी प्रकार का कोई अधिकार पैदा नहीं होता है। इसलिए उक्त अपील काबिल खारिज के है। तेजाराम के पिता का नाम कुन्नाराम ही था व मृत्यु प्रमाण पत्र में कुन्नाराम ही दर्ज है। उमाराम मात्र सहवन से व गलती से दर्ज हुआ था। रेस्पोडेन्ट के पिता द्वारा किया गया संशोधन का वाद रेस्पोडेन्ट के पिता की मृत्यु के बाद पटवारी हल्का व आर.आई. द्वारा जांच करके भरने के बाद उक्त संशोधन के वाद को चलाने का कोई औचित्य नहीं था, जिससे उक्त वाद को खारिज करवा लिया। अपीलांट का यह लिखना भी गलत है कि तहसीलदार गेडता द्वारा पटवारी हल्का के द्वारा कूटरचित दस्तावेज के आधार पर भरा गया नामान्तरकरण निरस्त किया जावें। तहसीलदार ने नामान्तरकरण स्वीकार करने में कोई भूल नहीं की है। खसरा नम्बर 4097 के पुराने खसरा नम्बर 3744 सही है। मगर पुरानी खतौनी नकल में रेस्पोडेन्ट के पिता की वल्दियत सहवन से गलत दर्ज हो गया था, जिसकी रेकर्ड दुरूस्ती हेतु वाद पेश किया था और उक्त वाद के निस्तारण के साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी निस्तारित हो गया। जब वाद ही विचाराधीन नहीं रहा तो स्थगन आदेश भी स्वतः ही निरस्त हो गया। पटवारी हल्का ने रेस्पोडेन्ट को नाजायज लाभ पहुंचाने का कार्य नहीं किया गया। फौतगी नामान्तरकरण एक आवश्यक प्रक्रिया है, जिसको किसी प्रकार के स्थगन से नहीं रोका जा सकता और पटवारी हल्का व आर.आई. ने अपने कर्तव्यों की पालना करते हुवे फौतगी नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट के नाम सही स्वीकृत किया। जिससे अपील काबिल खारिज के है। रेस्पोडेन्ट की माता भरपाई जीवित है, मगर उसने अपना हिस्सा रेस्पोडेन्ट को दे दिया, जिससे उनका नाम नामान्तरकरण में दर्ज नहीं हुआ और रेस्पोडेन्ट की माता भरपाई ने उक्त नामान्तरकरण के संबंध में कोई आपत्ति आज तक पेश नहीं की। उस संबंध में अपीलांट को किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। रेस्पोडेन्ट ने नामान्तरकरण अपने नाम स्वीकृत होने से अपनी आवश्यकता हेतु बैंक से ऋण प्राप्त किया, इसमें किसी प्रकार का कोई गैरकानूनी कृत्य नहीं है व अपीलांट का वादग्रस्त खसरा से कोई संबंध नहीं है, ऐसी स्थिति में उनको हानि पहुंचने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। रेस्पोडेन्ट तेजाराम पुत्र उमाराम के वारिस बनकर अपने नामान्तरकरण दर्ज नहीं करवा रहे है और न ही किसी प्रकार के कोई तथ्य छिपा रहे है। खसरा नम्बर 4097 व पुराने खसरा नम्बर 3744 के मात्र रेस्पोडेन्ट के पिता वल्दियत गलत दर्ज होने मात्र से यह भ्रम की स्थिति पैदा हुई है और उक्त लिपिकीय त्रुटि का नाजायज फायदा उठाकर अपीलांट, रेस्पोडेन्ट व उनके पिता का लम्बे समय से निरंतर परेशान करता आ रहा है। अपीलांट ने पूर्व में भी अपने आपको उमाराम का गोद पुत्र बताकर स्व. उमाराम के विरूद्ध भी कई फौजदारी, दीवानी व राजस्व कार्यवाहियां पेश की व उन्हे तंग परेशान किया। रेस्पोडेन्ट के पिता तेजाराम जो स्व. उमाराम के साले का पुत्र था, जिसने उमाराम के साथ रहकर उसकी सेवा चाकरी की, जिससे अपीलांट, रेस्पोडेन्ट व उनके पिता से शुरू से ही रंजिश रखता है और उसी रंजिश के चलते अपीलांट ने यह गलत अपील पेश की है, जो काबिल खारिज के है। किसी प्रकार का कोई फर्जी दस्तावेज तैयार नही किया। अपीलांट तेजाराम अलग व्यक्ति है और रेस्पोडेन्ट के पिता तेजाराम अलग व्यक्ति है और रेस्पोडेन्ट अपने पिता की मृत्यु के बाद फौतगी नामान्तरकरण स्वीकृत करवाया है। जो नामान्तरकरण सही स्वीकृत करवाने का कथन करते हुए अपील

कलक्टर, नागौर

गलत पेश की है, जो खारिज किये जाने योग्य होने का कथन करते हुऐ अपीलांट की अपील मय खर्चा व हर्जा के खारिज किये जाने का निवेदन किया।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में म्यूटेशन जैर अपील के कॉलम संख्या–7 में काश्तकार का नाम तेजाराम पुत्र उमाराम कौम माली का नाम अंकित है, कॉलम संख्या 14 से 16 में पटवारी मेड़ता द्वारा खातेदार तेजाराम पुत्र उमाराम उर्फ कुन्नाराम की मृत्यू दिनांक 4.2.08 को हो जाने से शपथ पत्र के आधार पर उसके वारिसों के नाम नामान्तरकरण भरा गया है एवं कॉलम संख्या 9 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 जो तेजाराम माली कौम सा. कात्यासनी के पुत्र व पुत्रियां है, के नामों का उल्लेख किया गया है। उक्त म्यूटेशन जैर अपील पर भू अभिलेख निरीक्षक मेड़ता ने जॉच किया सही है की रिपोर्ट अंकित की, जिस पर तहसीलदार मेड़ता द्वारा दिनांक 6.6.2013 को म्यूटेशन जैर अपील स्वीकार किया गया है।

अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेड़ता से उक्त म्यूटेशन स्वीकृत करने से संबंधित दस्तावेजात भी चाहे गये, जिसके कम में पुरखाराम का मूल शपथ पत्र एवं तेजाराम की मृत्यू प्रमाण पत्र की प्रति इस न्यायालय को भिजवाई गई। पुरखाराम पुत्र तेजाराम रेस्पोडेंट संख्या 1 का शपथ पत्र के अनुसार पुरखाराम द्वारा अपने पिता का नाम तेजाराम पुत्र कुनाराम उर्फ उमाराम माली निवासी कात्यासनी होना बताते हुऐ उनकी मृत्यू दिनांक 04.02.2008 को होना बताया है। जयपुर नगर निगम द्वारा जारी मृत्यू प्रमाण पत्र दिनांक 25.02.2008 की छाया प्रति के अनुसार उक्त मृत्यू प्रमाण पत्र में तेजाराम पुत्र कुनाराम निवासी कात्यासनी होना जिनकी मृत्यू दिनांक 04.02.2008 बताई गई है। यह स्वीकृत तथ्य है कि उक्त मूल म्यूटेशन जैर अपील फौतगी का म्यूटेशन है। उक्त म्यूटेशन में पटवारी द्वारा मृतक का नाम तेजाराम पुत्र उमाराम उर्फ कुन्नाराम, प्रस्तुत शपथ पत्र में तेजाराम पुत्र कुनाराम उर्फ उमाराम, मृत्यू प्रमाण पत्र में तेजाराम पुत्र कुनाराम बताया गया है। म्यूटेशन जैर अपील के कॉलम संख्या 7 में काश्तकार का नाम तेजाराम पुत्र उमाराम का उल्लेख किया गया है, उसमें उर्फ कुनाराम का उल्लेख नही तो फिर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तेजाराम पुत्र उमाराम उर्फ कुन्नाराम के वारिसान के नाम म्यूटेशन जैर अपील किस प्रकार से स्वीकृत किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है। इसलिए प्रथम दृष्टया उक्त म्यूटेशन जैर अपील विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर म्यूटेशन जैर अपील निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेड़ता को प्रतिप्रेषित कर, प्रकरण में संबंधित पक्षकारान की विधिवत सुनवाई कर साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर यथाशीघ्र विधि सम्मत निर्णय पारित करने के निर्देश दिये जाते है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर